न्यायालय उप जिला कलेक्टर रामगढ़ पचवारा जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी श्री नारायण मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या । 123 / 2020

1. गंगा पत्नि बिरदया
2. गिर्राज पुत्र बिरदया
3. सीताराम पुत्र बिरदया

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा तहसील राहूवास जिला दौसा।

(वादीगण)

बनाम

1. कालूराम पुत्र भौरया
2. चौथमल पुत्र भौरया
3. राजेन्द्र पुत्र कालूराम
4. रामहरि पुत्र कालूराम
5. बनवारी पुत्र चौथमल
6. लाल्या उर्फ लालाराम पुत्र चौथमल
7. सुरेन्द्र पुत्र कालूराम
8. चमनलाल पुत्र भौरीलाल
9. रामधन पुत्र भौरीलाल

समस्त जाति माली निवासी मोहम्मदपुरा तहसील राहूवास जिला दौसा

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 3.7.21

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीयान की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय प्रार्थना पत्र पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 142 रकबा 3.4904 है0 वाके ग्राम मोहम्मदपुरा तहसील राहूवास प्रार्थीयान की खातेदारी आराजी मात्र है। अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात से कोई ताल्लुक व वास्ता नही है। अप्रार्थीयान प्राथीयान को उक्त खातेदारी की आराजीयात में माने मजामहत व मदाखलत एवं दखलअन्दाजी करते है। अतः इन्हे अस्थायी निषेधाज्ञा से पांवद किया जावे। अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीयान की ओर से बार तामिल कोई असालतन/वकालतन उपस्थित नही हुयें।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा जिला-दौसा (राज.)

अतः इसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। बहस प्रार्थीयान सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। विधि में यह व्यवस्था स्थापित है कि अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थीयान को अपने पक्ष में निम्न 03 बिन्दु सिद्ध करने होंगे। जिनकी हम निम्न प्रकार विवेचना करते है।

प्रथम दृष्टया केसः— मुताबिक जमाबन्दी संम्वत 2074–77 खाता संख्या 18 ग्राम मोहम्मदपुरा से आराजीयात मुतनाजा प्रार्थीयान की खातेदारी की होना प्रथम दृष्टया सिद्ध होता है। अप्रार्थीयान का उक्त आराजी से कोई ताल्लुक व वास्ता होना नही पाया गया। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीयान के पक्ष में सिद्ध है।

सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षतिः— चूंकि आराजीयात मुतनाजा प्रार्थीयान की खातेदारी की है। ऐसी सूरत में अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पांबध किया जाना आवश्यक है। ताकि प्रार्थीयान अपने कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजीयात से फसल प्राप्त करने में महरूम न हो। इस प्रकार उक्त दोनो बिन्दु प्रार्थीयान के पक्ष में साबित है।

इस प्रकार उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थीयान के पक्ष में सिद्ध होने से हमारे विनम्र अभिमत से प्रार्थीयान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना विधि सम्मत है।

::आदेश::

उक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला दावा अन्यथा अन्य आदेश इस आशय के लिए पांबद किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 142 रकबा 3.4904 हैक्टेयर वाके ग्राम मोहम्मदपुरा के कब्जे काश्त में पत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानेमजामहत मदाखलात एवं दखलन्दाजी न करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हों।

(बद्री नारायण मीना)
उप जिला कलेक्टर
रामगढ़ पचवारा
जिला दौसा